भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *188
दिनांक 6 अगस्त, 2025 / 15 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में उग्रवादियों का पुनर्वास

***188# श्रीमती संगीता यादवः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरु किए हैं;

(ख) सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किन प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है;

(ग) राज्य पुलिस बलों की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनाएँ कार्यान्वित की गई है;

(घ) क्या पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में कोई बहुवर्षीय योजना चल रही है, यदि हाँ, तो उसके वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़क, दूरसंचार, बैंकिंग और शिक्षा अवसंरचना में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 दिनांक 06/08/2025

दिनांक 06.08.2025 को राज्यसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *188 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(i) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में एक "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति तथा कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया था। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है।

(ii) सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन उपलब्ध कराकर और भारतीय रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देकर, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि के माध्यम से सहायता करती है;

2014-15 से,

- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को बलों के संचालन व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए 3364.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। क्षमता निर्माण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य को की जाती है।
- विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (SIB), जिला पुलिस को मजबूत करने और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (FPS) के निर्माण के लिए 1740 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कुल 621 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 543 का निर्माण 2014 के बाद किया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 दिनांक 06/08/2025

(iii) राज्यों के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए, भारत रिजर्व बटालियन (IR Bns) योजना ("पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की उप योजना) के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 70 भारत रिजर्व बटालियन और विशेष भारत रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई हैं।

(iv) राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत संपूरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस थानों का निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कई विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन निम्नवत हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 LWE विशिष्ट योजनाओं अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) के अंतर्गत 14,928 किलोमीटर का निर्माण किया गया है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 8,640 टावर लगाए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केंद्र (SDC) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) क्रियाशील किए गये हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5899 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 दिनांक 06/08/2025

- विकास कार्यों में तीव्रता हेतु, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA) योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। 2017 में योजना की शुरुआत से अब तक 3,769.44 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(vi) वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियां हैं। भारत सरकार 'समर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से राज्यों को इस प्रयास में सहायता प्रदान करती है तथा आत्मसमर्पण करने वाले कैडर के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। हथियार/गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण करने पर दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति भी हथियार के प्रकार जैसे डेटोनेटर से लेकर लाइट मशीन गन, रॉकेट लांचर आदि के आधार पर की जाती है । इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के लिए 10000/- रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।

(vii) गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और स्थानीय युवाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत, स्थानीय पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, यानि स्थानीय आबादी के कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविरों, सामाजिक समारोहों आदि के आयोजन हेतु प्रावधान किया गया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, इन क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिससे सुरक्षा बलों को विश्वास निर्माण, कल्याणकारी गतिविधियों और युवाओं तक पहुंच बनाने में पारंपरिक कानून प्रवर्तन से आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जो सामुदायिक पुलिसिंग के विषय का केंद्र हैं। इसके अलावा, मीडिया योजना के अंतर्गत जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों (TYEP) के माध्यम से स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय युवाओं को प्रमुख शहरों में भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तथा मुख्यधारा के समाज के साथ भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(viii) नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है तथा भौगोलिक विस्तार में कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं और परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें, 2010 के उच्च स्तर से 2024 में क्रमशः 81% और 85% तक कम हो गई हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है, जो 2013 में 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 रह गए।

(ix) बेहतर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में निवेश ने उन्नत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
